न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 96/2025

उनवान :

1. सतीश पुत्र ओमप्रकाश जाति गौसाई (गुंसाई) निवासी मालकसर तहसील भादरा। :– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश उर्फ ओमपुरी पुत्र लालपुरी जाति गौसाई (गुंसाई) निवासी मालकसर तहसील भादरा।
2. सुनील पुत्र ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लालपुरी जाति गौसाई (गुंसाई) निवासी मालकसर तहसील भादरा।
3. कविता पुत्री ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लालपुरी जाति गौसाई (गुंसाई) निवासी मालकसर तहसील भादरा। :–असल प्रतिवादीगण
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अनूपशहर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : **वादी**

वकील श्री सोमवीर यादव : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

दिनांक : 04.07.25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मालकसर के खाता संख्या 10/132 के खसरा नं0 119, 141/2, 163/2 कुल खसरा 3 की 4.7455 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सतीश पुत्र ओमप्रकाश जाति गौसाई (गुंसाई) निवासी मालकसर तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा मालकसर के खाता संख्या 10/132 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा मालकसर संवत 2044 खाता संख्या 101/86 प्रदर्श 2, शपथ पत्र सतीश दिनांक 0[illegible] प्रदर्श 3, तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
(फा.ट्रैक)भादरा

Scanned with CamScanner

...र मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी ...ार किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत ...लेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा ...लकस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने ...तु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र ...दर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 10/132 के ...सरा नं0 119, 141/2, 163/2 कुल खसरा 3 की 4.7455 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के ...म राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की ...जाय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। ...ूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में ...याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल ...वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 10/132 के खसरा नं0 119, 141/2, 163/2 कुल खसरा 3 की 4.7455 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की बजाय वादी सतीश व प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुनील को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:37 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
(फास्ट-ट्रैक)
...रा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 96/2025

उनवान :

1. सतीश पुत्र ओमप्रकाश जाति गौसाई (गुंसाई) निवासी मालकस तहसील भादरा।

:— **वादी**

बनाम

1. ओमप्रकाश उर्फ ओमपुरी पुत्र लालपुरी जाति गौसाई (गुंसाई) निवासी मालकस तहसील भादरा।
2. सुनील पुत्र ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लालपुरी जाति गौसाई (गुंसाई) निवासी मालकस तहसील भादरा।
3. कविता पुत्री ओमपुरी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लालपुरी जाति गौसाई (गुंसाई) निवासी मालकस तहसील भादरा।

:—**असल प्रतिवादीगण**

4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अनूपशहर जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—**तरतीबी प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सोमवीर यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालकस के खाता संख्या 10/132 के खसरा नं0 119, 141/2, 163/2 कुल खसरा 3 की 4.7455 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले की बजाय वादी सतीश व प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुनील को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:37 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner